



Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 24, 2012
(BHADRA 2, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2012

No. 28-HLA of 2012/56.— The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 28—HLA of 2012

**THE PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL
(HARYANA AMENDMENT) BILL, 2012**

A

BILL

*further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952
in its application to the State of Haryana.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Act, 2012.

Short title

2. Clause (a) of section 15 of the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 shall be omitted.

Amendment of section 15 of Punjab Act 1 of 1953.

3. (1) The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Ordinance, 2012 (Haryana Ordinance No. 5 of 2012), is hereby repealed.

Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In year 2003, section 15(a) of Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 was inserted wherein area adjacent to the abadi deh of any village which Government identifies for village expansion through a notification to such effect was taken out from purview of the Act *ibid*. A limit of 60% was imposed on such expansion of village abadi. While implementing the above referred provision, some practical difficulties came to the notice of the Government such as absence of rational criteria to fix boundary of extended village abadi (in view of aforesaid limit of 60%) as most of the villages have expended beyond 60% of their original abadi deh. In fact, even unauthorised colonies in the vicinity of Lal Dora of the village abadi carved out in violation of provisions of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, would also get *de-facto* regularised under the disguise of exemption under section 15(a) of Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952. In view of above facts and ground realities, purpose for which section 15(a) was inserted in Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 is neither being served nor likely to be served in future. Even Revenue & Disaster Management Department, Haryana mentioned that the exemption from the Act *ibid* could have severe adverse implications resulting in unregulated structures coming up in the area. Moreover, implementation of this provision would create legal complications, resentment and likely to be misused, hence, this bill to repeal/omit section 15(a) of Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 24th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

2012 का विधेयक संख्या 28 – एच० एल० ए०

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2012

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952

हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित

करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2012. कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम ।

2. पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 की धारा 15 के खण्ड (क) का लोप कर दिया जाएगा।

1953 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 15 का संशोधन।

3. (1) पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5). इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन तथा व्याप्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्ष 2003 में पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 में संशोधन करते हुए धारा 15 (क) को डाला गया था, जिसमें गांव की आबादी देह के विस्तार के लिए अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा चिन्हित किये गये ऐसे क्षेत्र जो आबादी देह के साथ लगते हैं, को उपरोक्त अधिनियम के प्रभाव से मुक्त करने का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त वर्णित आबादी देह के विस्तार के लिए 60% की सीमा का निर्धारण पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 की धारा 15 (क) में किया गया था। पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 की धारा 15 (क) के प्रावधानों को लागू करने में सरकार के सामने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आईं जैसे कि बड़ी हुई गांव की आबादी की सीमा का निर्धारण करने के लिए तर्कसंगत मापदण्ड का अभाव (60% की उपरोक्त वर्णित सीमा के मध्यनजर) क्योंकि अधिकतर गांवों में बड़ी हुई आबादी मूल आबादी की 60% की सीमा से कहीं ज्यादा है। पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 की धारा 15 (क) के अन्तर्गत दी गई छूट की आड़ में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों की उल्लंघना में लाल डोरा की सीमा के साथ विकसित हुई अनधिकृत कालोनियां भी स्वतः ही नियमित हो जाएंगी। उपरोक्त तथ्यों और जमीनी वास्तविकताओं के मध्यनजर पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 की धारा 15 (क) को सम्मिलित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तथा न ही भविष्य में इसके पूरा होने की संभावना है। यहां तक कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा ने भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त अधिनियम की छूट से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा परिणाम स्वरूप क्षेत्र में अनियोजित संरचनाओं का विकास होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रावधान के कार्यान्वयन से कानूनी अपहेलताएं, असंतोष बढ़ेगा और इसके दुरुपयोग की सम्भावना रहेगी। इसलिए इस बिल द्वारा पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 की धारा 15 (क) को निरस्त किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री हरियाणा।

दण्डीगढ़
24 अगस्त 2012.

सुमित कुमार,
सचिव।